उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या-1/2022/2370/23-8-2021-50(पी0डब्ल्यू0)अधि0/20

लखनऊ : दिनांक: 04 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 (यथासंशोधित) में अंकित व्यवस्था तथा स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या/संस्तुति के क्रम में श्री प्रताप नारायण चौधरी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को 26 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 16.12.2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राजेश प्रताप सिंह

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एंव विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- संबंधित अधिकारी द्वारा स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- लोक निर्माण अनुभाग-4

7- कार्यालय आदेश पुस्तिका/डाटा प्रभारी।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।